# ग्रामीण महिलाओं का घोषणापत्र
## हक, सशक्तिकरण व मुक्ति

६-८ मार्च २००८
आराकोणम, तमिलनाडु, भारत

किसान, कृषि मजदूर, आदिवासी, दलित, बंजारा, मछुआ, औपचारिक व अनौपचारिक कामगार, प्रवासीय कामगार व समर्थक आंदोलनकारियों का प्रतिनिधित्व करतीं, हम २१ देशों से आयीं ७१६ महिलाएं, *ग्रामीण महिलाओं के हक, सशक्तिकरण व मुक्ति* की मांग के लिए आराकोणम (तमिलनाडु, भारत) मे ६-८ मार्च २००८ को आयोजित ''प्रथम एशियाई ग्रामीण महिला सम्मेलन'' मे एकत्र हुईं।

नव-उदार वैश्वीकरण, रूढ़िवादिता (फंडामेंटलिज्म) व सैन्यकरण के दुष्प्रभाव से आज एशिया भर मे ग्रामीण महिलाएं हर तरह के शोषण, दमन, हिंसा व भेदभाव का शिकार हो रही हैं।

नव-उदार वैश्वीकरण की प्रक्रिया प्रकृति के साथ दुराचार तथा प्रकृति व मानव के पारस्परिक अंतःसंबंधों को तहस-नहस कर रही हैं। इसने ग्रामीण महिलाओं को अशक्त किया है, और मानवाधिकारों व श्रम अधिकारों के हनन व आर्थिक अन्याय को बढ़ावा दिया है। जी-८ देशों द्वारा संचालित व विश्व-व्यापार संगठन, द्वी-देशीय व क्षेत्रीय व्यापार समझौतों द्वारा कायम तथा विश्व बैंक, आई.एम.एफ. व एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) द्वारा पोषित यह प्रक्रिया सीधे-सीधे जमींदारों, उच्च-वर्गों व बहुराष्ट्रीय निगमों को लाभान्वित करती है।

साम्राज्यवादी प्रभुत्व मे चलाई जा रही वर्तमान आर्थिक व राजनैतिक प्रक्रियाएं खाद्य व रेशा उत्पादन के सभी पहलुओं पर निगमीय नियंत्रण को बढ़ावा देती है व उन्होने भूमि, समुद्रीय व जलीय संपदाओं, आजीविकाओं, जल, बीज व आनुवंशिक जैव-विविधता पर एकाधिकार नियंत्रण का सर्जन किया हैं। निगमीय व संविदा खेती, सघन औद्योगिक मत्स्यपालन, कृष-ईधन परियोजनाओं का विस्तार, विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना व व्यापक भूमि-उपयोग हस्तांतरण, हजारों महिला किसानों, कृषि मजदूरों व मछुआरों को अपने घर-जमीनों से बेदखल कर रहे हैं, आजीविकाओं व उत्पादक संसाधनों का ह्रास, पर्यावरण को निरंतर दूषित व ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को विखंडित कर रहे हैं और गरीबी बढ़ा रहे हैं। इन सभी के चलते ग्रामीण महिलाएं अनुपातहीन स्तर पर दुष्प्रभावित हुई हैं, तथा उन्हे अधिकाधिक लिंग-आधारित हिंसा, भुखमरी व कुपोषण, निष्कासन व देह-व्यापार का दंश झेलना पड़ रहा है।

खनन, वृक्ष-कटान, उर्जा परियोजनाएं, जैव-ईधन उत्पादन व कृषि-उद्योग, स्थानीय समुदायों व आदिवासी महिलाओं की पैतृक भूमि छीन रहे हैं। व्यवसायिकरण व एकाधिकार नियंत्रण ने उन सभी पारंपरिक ज्ञान व पद्वतियों का विनाश किया है जो स्थानीय व आदिवासी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाए हुए थीं। अपने आर्थिक आधार से विमुक्त, आदिवासी महिलाओं को अपना घर-जमीन छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है जिससे वे उस आधारिक सुरक्षा से भी वंचित हो गई हैं जो उन्हे समुदाय के बीच मे रहने से मिलती थी। साथ ही, उन्हे अपनी संस्कृति व मूल्यों से भी विलग होना पड़ रहा है। इस तरह साम्राज्यवादी वैश्वीकरण, आदिवासी महिलाओं, उनके बच्चों व समुदायों का जाति-संहार कर रहा है।

वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं के तहत उदारवादी नीतियों, और समुद्रीय व आनुवंशिक संसाधनों के निजीकरण से तथा निर्यात पर अत्याधिक जोर देने से मछलियां पकड़ने के आधुनिक तरीकों मे ईजाफा हुआ जिससे छोटे-स्तर के मछुआरों का जीवन व आजीविकाएं नष्ट हुई हैं, और मत्स्य उत्पादन मे कमी आई है। साथ ही, विशाल परियोजनाएं, विशेष आर्थिक क्षेत्र, पर्यटन व सघन औद्योगिक मत्स्यपालन की वजह से महिला मछुआरों की समुद्रीय व जलीय संसाधनों पर पहुंच कम हुई है। महिला मछुआरे व कामगार सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं और उन्हे अब कम आय के लिए पहले से कहीं अधिक घंटे काम करना पड़ता है जिससे उनके स्वास्थ व आहार की गुणवत्ता प्रभावित हुई है।

वैश्वीकरण प्रक्रियाओं ने दुनियाभर मे औपचारिक व स्थाई रोजगार का सर्वाधिक विनाश किया है। मजदूरी को लचीला बनाने की रणनीति से महिला कामगार अनौपचारिक रोजगार ज्यादा करने को मजबूर हुई हैं जहां वे श्रम कानूनों के दायरे से बाहर होती हैं और फलस्वरूप उन्हे अधिक शोषण का शिकार होना पड़ता है। कई एशियाई देशों मे महिलाएं ही अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का अधिकांश हिस्सा होती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं व अल्प वित्त संस्थाओं के नेतृत्व मे गांवों मे चलाई जा रही अल्प बचत योजनाएं महिला स्व-रोजगार व स्वयं सहायता समूह दरअसल एक मिथक हैं। वास्तव मे, ये कार्यक्रम महिलाओं को कमजोर करती हैं तथा उन्हे ॠण व गरीबी के दुश्चक्र मे फसांती हैं।

जो महिलाएं अपने देशों मे दमन की वजह से व रोजगार की तलाश मे विदेश जाने को मजबूर होती हैं उन्हे उसकी बहुत बड़ी सामाजिक कीमत चुकानी पड़ती है। उन्हे बढ़ती हिंसा, शोषण, भेदभाव व अपराधीकरण का सामना करना पड़ता है तथा अपने महिला व प्रवासीय अधिकारों से वंचित होना पड़ता है। और जब वे अपने घर लौटती हैं तो उन्हे अलगाव भी सहना पड़ता है। महिलाओं द्वारा घर भेजे गए पैसों से कई एशियाई देशों की दिवालिया अर्थव्यवस्था बची हुई है।

साम्राज्यवादी ताकतों की सहायता और राज्य व गैर-राज्य कार्यवाहकों की मिलीभगत से बढ़ती धार्मिक रूढ़िवादिता ने ग्रामीण महिलाओं को परिदृश्य से ही हटा दिया है, उनकी निर्णय क्षमता व आजादी सीमित की है, उन पर हिंसा को जायज ठहराया है, धर्म-अनुमोदित वैश्यावृति को स्वीकृत किया है, भेदभाव को स्थायी रूप दिया है तथा उन्हे अपने जीवन, अपनी यौनिकता व संसाधनों पर स्व-नियंत्रण से वंचित किया है।

रूढ़िवादी व वैश्वीकरण की प्रक्रियाएं जातिगत भेदभाव के साथ मिलकर दलित महिलाओं को भूमि हकदारी, राजनैतिक व सामाजिक बराबरी व स्वंय जीवन के ही अधिकार से अधिकाधिक वंचित कर रही हैं। फलस्वरूप, दलित महिलाओं को अपने दैनिक जीवन मे उच्च जाति द्वारा बढ़ती छुआछूत, शारीरिक शोषण व हिंसात्मक नृशंसता व उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। नई आर्थिक नीतियों व विनाशकारी वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं से दलित महिलाएं अपनी आजीविकाओं से हाथ धोती जा रही हैं, तथा विस्थापन, प्रवसन व देह-व्यापारीकरण की मार झेल रही हैं।

संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा चलाए जा रहे ''आतंकवाद पर युद्ध'' के बहाने वैश्वीकरण की नीतियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। अमरीका व अन्य बड़े पूंजीवादी देशों का आर्थिक हित एशियाई देशों की सरकारों को सैन्यशक्ति व राज्य द्वारा आतंकवाद फैलाने का तर्क प्रदान कर रहा है और एशिया मे जातिगत संघर्ष को हवा दे रहा है। इससे अधिकाधिक ग्रामीण महिलाओं का कत्ल, कारावास व उत्पीड़न हुआ है। सुरक्षा की आड़ मे बर्मा, श्रीलंका, पाकिस्तान व फीलिपीन्स की दमनकारी सरकारें महिलाओं, पुरुषों व बच्चों का अति-न्यायिक कत्ल व जबरन तिरोधान कर रही हैं। जातिगत संघर्षो व गृह-युद्धों से हजारों लोग विस्थापन को मजबूर हो रहे हैं, और जातीय दंगों के फलस्वरूप, दलित महिलाओं पर अत्याधिक हिंसा हो रही हैं। प्रभावित क्षेत्रों मे युद्ध के हथियार के तौर पर महिलाओं का बलात्कार व कत्ल होता है तथा उन्हे सशस्त्र सेनाओं की ''सुविधा'' के लिए मजबूर किया जाता है। आत्यंतिक परिस्थिति मे वे जनसंहार का भी शिकार होती हैं।

''आतंकवाद पर युद्ध'' के संदर्भ मे, शीर्ष परमाणु शक्तियां अपना आणविक विस्फोट परीक्षण जारी रखे हुए हैं। विकिरण, युद्ध का सबसे भीषण पर अदृश्य हथियार है। वह पर्यावरण का विनाश व मनुष्यजाति का ही खात्मा कर सकता है। वह मूलतः प्रजनन की उम्र की महिलाओं व बच्चों को प्रभावित करता है। वह विशेषकर जनेन्द्रिय, स्तन व रक्त के कैंसर का कारक होता है। कज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत व पाकिस्तान की महिलाएं विकिरण से ग्रसित हैं व मर रही हैं।

वैश्वीकरण के निर्देश मे सार्वजनिक अस्पतालों के निजीकरण से सरकारी सामाजिक सेवाओं की अनदेखी बद से बदतर हुई है जिससे ग्रामीण महिलाएं स्वास्थ संबंधी सही जानकारी तथा समुचित व सस्ती स्वास्थ सेवाओं से वंचित हो रही हैं। अधिकाधिक ग्रामीण महिलाएं गर्भकाल व शिशुजन्म के दौरान रोगग्रस्त हो जाती हैं या मर जाती हैं, तथा असुरक्षित गर्भपात, एच. आई.वी./एड्स, जनेन्द्रिय कैंसर, शारीरिक व यौनिक हिंसा का शिकार होती हैं और पोषक आहार व सुरक्षित पेयजल तक उनकी पहुंच सीमित हो जाती है। उन्हे खतरनाक प्रसव परिस्थितियां झेलनी पड़ती हैं जो उन्हे रोगग्रस्त, चोटिल व कुपोषित छोड़ जाती हैं। कीटनाशकों के साथ काम करने से महिलाएं की बांझपन, जनेन्द्रिय कैंसर व गर्भस्त्राव के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती हैं।

इसलिए, प्रथम **एशियाई ग्रामीण महिला सम्मेलन** की हम भागीदार, ग्रामीण महिलाओं द्वारा अन्याय की अवज्ञा करने व महिलाओं के प्रति हर प्रकार के भेदभाव व हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान करती हैं। हम ग्रामीण महिलाएं व समर्थक आंदोलनकारी संकल्प लेते हैं कि हम नव-उदार वैश्वीकरण, साम्राज्यवादी व रुढ़िवादी ताकतों व सैन्यकरण का प्रतिरोध जारी रखेंगे।

हम वास्तविक कृषि सुधार और ग्रामीण महिलाओं द्वारा भू-मालिकाना व उत्पादक संसाधनों तक पहुंच, जिसमे ॠण व प्रशिक्षण भी सम्मिलित हो, की मांग करती हैं। हम, स्वस्थ व स्थानीय आहार व स्वस्थ कृषि तथा ग्रामीण महिलाओं के ज्ञान व कौशल के पुनरुद्धार हेतु खाद्य संप्रभूता की मांग करती हैं।

हम अपने जीवनयापन व जलीय संसाधनों संबंधित सभी नीति निर्धारण मे मछुआ समुदाय की सार्थक भागीदारी की मांग करते हुए समुद्रीय व जलीय संसाधनों तक अपनी सीधी पहुँच की मांग करती हैं।

हम आदिवासी समुदायों की पैतृक भूमि पर विकासात्मक अग्रघर्षण की व अपने संसाधनों की राज्य या निगमों द्वारा लूट पर रोक तथा अपने स्व-निर्णय के अधिकार की मांग करती हैं।

हम पारिस्थितिकीय व जैव-विविधता आधारित कृषि के पक्ष मे, कीटनाशकों, अजैव उर्वरकों व खाद्य व कृषि मे आनुवंशिक अभियांत्रिकी समेत खतरनाक कृषि रसायनों व तकनीकज्ञी पर प्रतिबंध की मांग करती हैं।

हम दलित महिलाओं का राज्य द्वारा उत्पीड़न व उनके मानवाधिकारों के हनन तथा भूमि से उनकी विलगता की निंदा करती हैं और कहती हैं कि दलित महिलाओं के अधिकार मानवाधिकार हैं। हम जाति-प्रथा व छुआछूत पर रोक की मांग करती हैं। हम संयुक्तरूप से मांग करती हैं कि सरकार दलित महिलाओं के भूमि, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, निर्णय लेने, राजनैतिक अभिव्यक्ति तथा एक इज्जत की जिंदगी बसर करने के अधिकारों की सुरक्षा करे, और यह कि यदि इन अधिकारों का पालन नही होता तो सरकार उसकी जिम्मेवार ठहराई जाएगी।

हम व्यापार उदारीकरण व नीजिकरण पर रोक व समस्त महिलाओं के लिए आजीविका की सुरक्षा व समुचित रोजगार की मांग करती हैं। हम एशियाई महिला कामगार आंदोलन, न्यायसंगत वेतन, सुरक्षित व उपयुक्त कार्य परिस्थितियां, रोजगार सुरक्षा व संघ बनाने की स्वतंत्रता के अधिकार की मांग करती हैं।

हम सभी एशियाई सरकारों द्वारा ग्रामीण महिलाओं के विकास व सशक्तिकरण हेतु साधन के तौर पर अल्प-ॠण व्यवस्था पर जोर देने को अस्वीकार करती हैं। हम मांग करती हैं कि सरकारें ऐसी प्रणाली कायम करें जिससे ग्रामीण महिलाएं अपनी शर्तों पर ॠण प्राप्त कर सकें।

हम सरकारों व निगमों की कार्यावलि द्वारा पोषित मजबूरन अप्रवसन पर रोक की मांग करती हैं। प्रवासी कामगारों हेतु हम, उनके इज्जत के साथ एक जगह पर रह कर या अन्य जगह पर जा कर रोजगार करने समेत सभी अधिकारों की सुरक्षा की मांग करती हैं।

हम रूढ़िवादिता व सांप्रदायिक शक्तियों के पुनःप्रवर्तन की निंदा करती हैं जो समाज व विशेषकर महिलाओं व बच्चों पर हिंसा बरपा रही हैं। हम मांग करती हैं कि सभी राज्य व सरकारें, सभी नीति-गत स्तरों पर विभिन्न धर्मों, जातीय समूहों व सर्वाधिक दरकिनार लोंगों, विशेषकर महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें जिससे महिलाओं के अधिकार सुरक्षित हों।

आक्रामक युद्ध की हमारे समाज मे कोई जगह नही है। हम सभी राज्य-निर्देशित व राज्य-समर्थित युद्धों पर रोक और समस्त मानवाधिकार रक्षकों व प्रभावित समुदायों के लिए न्याय की मांग करती हैं। हम एशिया महाद्वीप से सभी अमरीकी अड्डों को हटाने और राष्ट्रीय बजटों मे सैन्य बजट के उपर खाद्य उत्पादन, शिक्षा व स्वास्थ, सामाजिक सेवाओं व महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देने की मांग करती हैं। हम, सुरक्षा व आतंकवादी-रोधी विधान जैसे उत्पीड़क कानूनों को निरस्त करने तथा अति-न्यायिक कत्ल व जबरन तिरोधान पर रोक की मांग करती हैं।

एशिया महाद्वीप मे लोक हितकारी व प्रजातांत्रिक समाजों को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं की प्रजातांत्रिक आंदोलनों व राजनैतिक प्रक्रियाओं मे हिस्सेदारी आवश्यक है। एशिया मे इस दिशा मे सफल उदाहरणों व अनुभवों से हमे सीखना होगा, एशिया भर मे प्रजातांत्रिक आंदोलनों से एकात्मता व्यक्त करनी और शांति प्रक्रिया मे महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी।

ग्रामीण महिलाएं अपने शरीर पर अपने नियंत्रण के अधिकार, अपने यौनिक व जनेन्द्रिय स्वास्थ अधिकारों तथा विवाह, गर्भाधारण, गर्भ-निरोध व शिशु जन्म के मुद्दों पर चयन के अधिकारों की मांग करती हैं। हम शोषक लिंग चयन व अन्य जनेन्द्रिय तकनीकज्ञों पर रोक की भी मांग करती हैं।

अब समय आ गया है कि ग्रामीण महिलाएं एकजुट हों, एक स्पष्ट शक्ति का सर्जन करें, अपनी उपलब्धियों व सफलताओं को समेकित करें तथा वैश्विक महिला आंदोलन को सुदृढ़ करें। ग्रामीण महिला आंदोलन को बल प्रदान करने के लिए, हम प्रथम **एशियाई ग्रामीण महिला सम्मेलन** की भागीदार, ग्रामीण महिलाओं के हक, सशक्तिकरण व मुक्ति के लिए, अपना एक ''एशियाई रूरल विमेन कोएलिशन'' की स्थापना कर रही हैं। हमारी आवाजें सुनी जाएंगी।

ग्रामीण महिला एकता अमर रहे!!!